न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सोनिका पुरोहित, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 2/2016

राजस्थान राज्य

विरूद्ध

1. संदीप उर्फ जसकरण सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, जाति जटसिख , निवासी ढांबा झलार पुलिस थाना सदर सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2. गग्गू उर्फ सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री काका सिंह, जाति जटसिख, निवासी 6 एल.पी.एम समेजा कोठी, पुलिस थाना समेजा कोठी जिला श्रीगंगानगर।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 363,366,376 घ भा0दं0सं0

उपस्थिति :

1. विशेष लोक अभियोजक— राज0 राज्य से ।
2. श्री किशोर स्वामी अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.06.2016

पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर की ओर से जरिये सहायक लोक अभियोजक अभियुक्तगण संदीप उर्फ जसकरणसिंह व गग्गू उर्फ सुरेन्द्र पाल सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 363,366,376 (घ) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, घड़साना के समक्ष दिनांक 4.1.2016 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर मामला अनन्यतः इस विशिष्ट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण मामले को धारा 209 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार परिवादी निर्मल सिंह द्वारा मय अपनी पुत्री पीड़िता कुमारी खुशप्रीत के साथ दिनांक 1.10.2015 को वक्त 4.05 पी एम पर पुलिस थाना में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि परिवादी चक 9 एस तहसील अनूपगढ़ में ढाणी बनाकर रहता है। दिनांक 30.09.2015 को परिवादी शाम को 6 बजे अनूपगढ़ से सामान

लेकर आया था और रात्रि को खाना खाकर सो गये । रात को उठा और देखा तो इसकी लड़की खुशप्रीत नहीं थी ढाणी से करीब 3 मुरब्बा दूर खड़ंवजा सड़क पर एक मोटरसाईकिल खड़े होने के निशान थे और थोड़ी ही दूरी पर इसकी लड़की रोती हुई मिली जिसको लेकर घर आये तो उसने बताया कि रात्रि को 11.30 बजे संदीप व निक्कु घर में आये और सोई हुई को पिस्तौल दिखाकर कहा कि साथ चलो शोर किया तो जान से मार देगें जबरदस्ती खेतों में ले गये जहां आगे गग्गु नाम का लड़का था। तीनों ने सुनसान खेत में उसके साथ बुरा काम किया आदि।

इस लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना घड़साना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 469/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 450, 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान पूर्व कथित अनुसार अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।

आरोप पर बहस सुनने के पश्चात् अभियुक्तगण संदीप उर्फ जसकरण सिह, गग्गू उर्फ सुरेन्द्र पाल सिंह के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 घ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझ कर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी0ड01 प्रशांत कौशिक, पी0ड0.2 हिमांशु, पी0ड0.3 डाक्टर एस.एम.बत्रा, पी0ड0 4 खुशप्रीत, `पी0ड0.5 निर्मल सिंह, पी0ड06 रामप्रताप को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी– 24 को प्रदर्शित करवाया।

अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तथा बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं किया गया।

उभय पक्षों की बहस अन्तिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्न हैं कि –

1. आया अभियुक्तगण दिनांक 30.09.2015 की रात करीब 11.30 बजे मिलकर परिवादी निर्मल सिंह की पुत्री खुशप्रीत को उसकी

ढाणी चक 9 एच तहसील अनूपगढ़ से उसकी संरक्षकता से, अनुमति के बिना जबरदस्ती डरा धमाकर अपहरण कर खेतों में ले गये ?

2. आया अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी की पुत्री खुशप्रीत का अपहरण / व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया ?

3. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 30.09.2015 को रोही चक 9 एच में रात्रि 11.30 बजे के बाद खेतों में अभियोक्त्री खुशप्रीत के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध सम्मति के बिना, उसके साथ मैथुन कर सामूहिक बलात्संग किया ?

4. आया अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप साबित हुआ, यदि हॉ, तो कौनसा आरोप साबित हुआ एवं उसके लिए समुचित दण्ड क्या होगा ?''

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में कथन है कि अभियोक्त्री खुशप्रीत ने अपने न्यायालय बयानों में अभियुक्तगण को देखकर कहा है कि ये नहीं थे । संदीप और निक्कू को नहीं जानती इसे पक्षद्रोही घ ोषित किया गया है। निर्मल सिंह अभियोक्त्री के पिता ने हालांकि यह कहा है कि खुशप्रीत से जब पूछा तो उसने बताया कि निक्कू, संदीप व गग्गू थे जिन्होंने इसके साथ माड़ा काम किया और पी.ड.3 डाक्टर एस एम बत्रा है जिसने अभियोक्त्री का बलात्कार संबंधी मैडिकल मुआयना किया जाना कथन किया है परन्तु स्वंय खुशप्रीत पक्षद्रोही हुई है और अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है ऐसी स्थिति में इन गवाहान की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अन्य गवाहान में प्रशांत कौशिक ने चार्जशीट पेश करने की साक्ष्य दी है । हिमांशु व रामप्रताप अनुसंधान अधिकारी है जिन्होंने अनुसंधान के हालात बयान किये हैं। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होता है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

इस मामले में अभियोजन की ओर से छः गवाहान को परीक्षित करवाया गया। पी.ड. 4 खुशप्रीत अभियोक्त्री है जिसने कथन किया है कि दिनांक 30.09.2015 को यह रात को खाना खाकर अपने कमरे मे सो रही थी। इसके माता पिता बाहर सो रहे थे। करीब साढ़े ग्यारह बजे निक्कू व संदीप नाम के दो लड़के इसके कमरें मे आए थे। फिर निक्कू ने इसकी बाजू पकड़कर इसे उठाया। निक्कू के पास पिस्तौल था। उसने इसे शोर नही मचाने दिया तथा कहा कि अगर शोर मचाया तो परिवारवालों को मार दूंगा। उसके बाद वे दोनो इसे दो तीन मुरब्बा दूर ले गए। वहां पर मोटरसाईकिल थी जिस पर बैठाकर एक खेत मे ले गए। वहां खेत मे उन्होंने इसके साथ गंदा काम किया। फिर ये लोग इसे खड़वंजा पर छोडकर चले गए। इसे आगे कुछ नही पता इसे इसके पापा आकर घर ले गए। लड़के तीन थे। अभियुक्तगण को देखकर कहा कि उक्त तीनों लड़के इनमे से नहीं है। पुलिस ने इससे अभियुक्तगण की पहचान नही करवाई थी। उसके अगले दिन यह थाना मे गई थी। यह संदीप ओर निक्कू पुत्र बीकरसिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच तहसील अनूपगढ को नहीं जानती। इसे पक्षद्रोही करार दिया गया है।

पी.ड.5 निर्मल सिंह परिवादी अभियोक्त्री का पिता है जिसने कथन किया है कि दिनांक 30.09.2015 को इसका परिवार खाना खोकर सो गए थे। इसके परिवार में इसकी पत्नी, इसकी बेटी खुशप्रीत व बेटा रहते हैं। रात को खुशप्रीत अपने कमरे मे सोई हुई थी। ये बाहर सोए हुए थे। रात के करीब साढ़े ग्यारह बारह बजे यह पेशाब करने के लिए उठा और उसके बाद पानी पीने के लिए गया तो खुशप्रीत घर पर नहीं थी। इसका छोटा भाई इसके घर के पास ढाणी में रहता है। इसने अपने छोटे भाई को बताया कि खुशप्रीत घर पर नहीं है। हम दोनों ने अपनी बैटरी से खुशप्रीत की तलाश की। लगभग तीन मुरब्बा दूर जाने पर इन्हें खुशप्रीत रोती हुई मिली जिसे लेकर हम घर आ गए। खुशप्रीत से जब इन्होंने पूछा कि यहां कैसे आई तो

उसने बताया कि निक्कू, संदीप व गगू थे इन्होने मेरे साथ माड़ा काम किया। इसकी लड़की को निक्कू घर से ले गया था। इस पर इसने पुलिस थाना घ ाड़साना मे अगले दिन मुकदमा दर्ज कराने बाबत दरख्वास्त प्रदर्शपी–17 दी । एफ आई आर प्रदर्शपी–18 है। पुलिस ने नक्शा मोका क्रमशः ए व मार्क बी तैयार किया जो प्रदर्शपी–19 व 20 है। पुलिस ने घटना के समय इसकी बेटी के पहने हुए कपड़े जब्त किए थे। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–21 है। पुलिस ने इससे से पूछताछ की थी बयान नहीं लिए। इसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

पी.ड.1 प्रशात कौशिक का कथन है कि दिनांक 31.12.2015 को यह पुलिस थाना घड़साना मे थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज इस अभियोग की अनुसंधान पत्रावली बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश करने हेतु इसे प्राप्त हुई थी। अभियोग मे अभियुक्त जसकरणसिंह के पुरूषत्व परीक्षण के संबंध मे स्पष्टीकरण बाबत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घडसाना को पत्र जारी किया गया था जो प्रदर्शपी–1 है। पत्रावली मे श्री रामप्रताप उपाधीक्षक पुलिस एवं श्री हिमांशु उपाधीक्षक पुलिस ने अनुसंधान किया था। प्रकरण मे संदीप उर्फ जसकरण व गगू उर्फ सुरेन्द्रपालसिह के विरूद्ध धारा 363,366,376(डी) भारतीय दंड संहिता मे अभियोग पत्र कत्ता किया गया था तथा इसके द्वारा सक्षम न्यायालय मे पेश करवाया गया था।

पी.ड.2 हिमांशु ने कथन किया है कि दिनांक 04.10.2015 को यह वृत्ताधिकारी अनूपगढ के पद पर तैनात था। इस प्रकरण की पत्रावली इसे अनुसंधान हेतु पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री रामप्रताप से प्राप्त हुई। प्रकरण में दौराने अनुसंधान पीडिता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन माननीय न्यायालय से करवाए गए। जिसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। दौराने अनुसंधान साक्षीगण के कथन उनके कहेनुसार धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किए गए थे। दौराने अनुसंधान अभियुक्त संदीप उर्फ जसकरणसिंह से अनुसंधान करने के पश्चात् व आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसको जरिए फर्द प्रदर्शपी–2 के गिरफतार किया गया । अभियुक्त संदीप उर्फ जसकरण द्वारा अपनी स्वेच्छा से भारतीय

साक्ष्य अधिनियम 27 के अन्तर्गत यह ईतिला दी गई कि खुशप्रीतकौर से जिस जगह/खेत पर मिला था जहां पर खुशप्रीतकौर की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ संभोग किया था वह जगह साथ चलकर बता सकता हूं। अभियुक्त द्वारा दी गई उक्त ईतिला प्रदर्शपी–3 है। मुताबिक ईतिला अभियुक्त द्वारा घटनास्थल की तस्दीक की गई थी। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–4 है । फर्द तस्दीक नक्शा मोका प्रदर्शपी–5 है। फर्द तस्दीक हालात मोका प्रदर्शपी–5ए है। अभियुक्त संदीप उर्फ जसकरणसिंह द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 27 के अन्तर्गत अपनी स्वेच्छा से ईतिला दी गई कि घटना के रोज जो मेरे पास मोटरसाईकिल था जो मैने गांव पतरोड़ा मे किसी जगह छिपा रखा है जिसे साथ चलकर बरामद करवा सकता हूं। अभियुक्त द्वारा दी गइ उक्त ईतिला प्रदर्शपी–6 है। अभियुक्त द्वारा प्रदर्शपी–6 के अनुसार दी गई ईतिला के अनुसार आगे आगे चलकर पतरोड़ा गांव के पास एक मोटरसाईकिल आर जे 13–1सीएम 9246 बरामद करवाया गया जिसे कब्जा पुलिस मे लिया गया। जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्शपी–7 तैयार की गई । नक्शा मोका बरामदगी स्थल प्रदर्शपी–8 है । हालात मोका प्रदर्शपी–8ए है अभियुक्त संदीप उर्फ जसकरणसिंह का पुरूषत्व संबंधी मैडिकल मुआयना करवाया जाकर चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने अनुसंधान अभियुक्त हाजिर अदालत गगू उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह से अनुसंधान कर उसको जरिए फर्द प्रदर्शपी–9 के गिरफतार किया गया। अभियुक्त गगू उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 27 के अन्तर्गत स्वेच्छा से ईतिला दी गई कि दिनांक 30.09.2015 की रात्रि को मैं तथा संदीप उर्फ जसकरणसिंह मोटरसाईकिल से खुशप्रीतकोर को उसकी ढाणी चक 9 एच में जिस स्थान पर छोड़कर गए थे वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं। अभियुक्त द्वारा दी गई उक्त ईतिला प्रदर्शपी–10 है । फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–11 है । नक्शा मोका निशांदही प्रदर्शपी–12 है, हालात मोका निशांदेही प्रदर्शपी–12ए है । अभियुक्त गगू उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह का पुरूषत्व संबंधी मैडिकल मुआयना करवाया जाकर चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। एफ एस एल से प्राप्त रसीद प्रदर्शपी–13 प्राप्त कर शामिल

पत्रावली की गई। एस पी कार्यालय श्रीगंगानगर से अग्रेषण पत्र जारी करवाया था जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्शपी–14 है। एस पी कार्यालय श्रीगंगानगर से अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए लिखा गया पत्र प्रदर्शपी–15 है । रोजनामचा रपट की नकलें प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई थी। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई थी। कॉल डिटेल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई थी। मोटरसाईकिल आर.जे.13 1 सीएम 9246 की आर.सी. की प्रति व अन्य कागजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए गए थे। पीड़िता खुशप्रीतकौर की फोटो प्रति आधार कार्ड पर उसकी फोटो चस्पा है। खुशप्रीतकोर वही पीड़िता है जिसके इसने धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय से बयान लेखबद्ध करवाए जाकर उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। प्रकरण मे अनुसंधान से अभियुक्तगण संदीप उर्फ जसकरणसिंह एवं गगू उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363,366, 376 (घ) भारतीय दंड संहिता प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली मार्फत कार्यालय पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना घड़साना को भिजवाई गई।

पी.ड.3 डाक्टर एसएम बत्रा ने कथन किया है कि दिनांक 03.10.2015 को यह मैडिकल ज्युरिष्ट राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर के पद पर तैनात था। उस रोज प्रमुख चिकित्साधिकारी के आदेश क्रमांक 9615 की अनुपालना में मैडिकल बोर्ड द्वारा खुशप्रीत का बलात्कार संबंधी मैडिकल मुआयना किया गया। उपरोक्त मैडिकल बोर्ड मे यह मैडिकल ज्युरिष्ट था। पीड़िता का पहचान चिन्ह चेहरे के बाईं ओर काला तिल है। पीड़िता खुशप्रीत को चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्शपी–16 में अंकित पहचान चिन्ह से मिलान करते हुए इसके द्वारा पीड़िता की पहचान चिन्ह की गई। यह वही पीड़िता है जिसका इसके द्वारा मुआयना किया गया था। मुआयने मे पाया गया कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। जननांग पूर्णतः विकसित थे। प्यूबिक हेयर उपस्थित थे। जननांग के पास कोई चोट का निशान नही था। योन छिद्र से कोई लिकेज, डिस्चार्ज नही था। योन छिद्र के बाहर की झिल्ली लिबिया माईजोरा व लिबिया माईनोरा पूर्णतः विकसित थे। योन छिद्र के बाहर हाईमन

मेमरेन का टूटा हुआ भाग 5 व 7 ओ क्लॉक पर उपस्थित था। हाईमन टैग पर खून की बूंदे उपस्थित थी। योन छिद्र मे दो अंगुलियां डालने पर दर्द महसूस करती थी व योन छिद्र से वैजाईनल समीयर स्लाईड बनाते समय ब्लड स्टेन मिक्स डिस्चार्ज उपस्थित था। वैजाईनल समीयर स्लाईड तैयार कर व सील्ड कर सिमन व स्पर्म की जांच हेतु पुलिस को दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैडिकल बोर्ड की रायनुसार संभोग होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्शपी–16 है जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है, सी से डी अन्य बोर्ड सदस्य श्रीमती चन्द्रकला गर्ग के हस्ताक्षर है, ई से एफ बोर्ड की राय है, जी से एच पीड़िता का पहचान चिन्ह अंकित है, एक्स स्थान पर सील नमूना अंकित है।

पी.ड. 6 रामप्रताप ने कथन किया है कि यह दिनांक 03.10.2015 को सीओ रायसिहनगर के पद पर तैनात था। इस प्रकरण की पत्रावली सीओ अनूपगढ की अनुपस्थिति में इसे लिंक सीओ होने के नाते अनुसंधान के लिये प्राप्त हुई थी। इसने अनुसंधान के दौरान मौका पर पहुंचकर पीड़िता एवं उसके पिता निर्मल सिह की निशान देही से नक्शा मौका प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 20 तैयार किया था। हालात मौका प्रदर्श पी 19 ए व प्रदर्श पी 20 ए है। पीड़िता ने बरवक्त वाक्या पहने हुये कपड़े एक सूट सलवार इसके समक्ष पेश किये थे जो इसने जरीये फर्द प्रदर्श पी 21 जब्त किये थे। वजह सबूत इसने जमा मालखाना थाना नई मंडी घड़साना करवाया था। अभियोक्त्री के बयान प्रदर्श पी 23 का हिस्सा ए से बी, निर्मल सिंह के बयान प्रदर्श पी 24 का हिस्सा ए से बी व हरप्रीत सिंह के बयान जैसा गवाहान ने कहा वैसा इसने लिखे । अभियोक्त्री की मेडिकल रिपोर्ट इसने शामिल पत्रावली की। पीड़िता के बयान 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अनूपगढ़ से करवाये गये। इसके पश्चात सीओ अनूपगढ़ को पत्रावली अग्रिम अनुसंधान के लिये वापिस लौटा दी गई।

दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया । अभ्योिक्त्री खुशप्रीत पी.ड. 4 ने अपने बयानों में कहा है कि इसके कमरें में निक्कू व संदीप नाम के लड़के आये थे। इसके निक्कू ने बाजू पकडक़र उठाया जिसके पास

पिस्तोल था उसने कहा कि शोर किया तो परिवारवालो को मार दूंगा इसके बाद दोनों इसे दो तीन मुरब्बा दूर ले गये वहां पर मोटरसाईकिल थी जिसपर बैठाकर एक खेत में ले गये वहां खेत में उन्होंने इसके साथ गंदा काम किया लड़के तीन थे । अभियुक्तगण को देखकर इसने कहा है कि तीनों लड़के इनमें से नहीं है। पुलिस ने इससे अभियुक्तगण की पहचान नहीं करवाई थी। इस प्रकार अभियोक्त्री न्यायालय में अपराध करने वाले अभियुक्तगण में से नहीं थे स्पष्ट कथन करती है और पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की पहचान नहीं करवाया जाना भी कथन करती है। इसे पक्षद्रोही करार दिया गया है जिसकी साक्ष्य से अभियेाजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

पी.ड. 5 निर्मल सिंह अभियोक्त्री का पिता है जिसने कहा है कि खुशपीत इन्हें रोती हुई मिली जिसने बताया कि निक्कू, संदीप व गग्गू थे उन्होंने मेरे साथ माड़ा काम किया। पी.ड. 3 डाक्टर एस एम बत्रा है जिसने खुशप्रीत का बलात्कार संबंधी मैडिकल मुआयना किया जाना और चिकित्सीय रिपेार्ट प्रदर्श पी 16 होना कथन किया है और यह कथन किया है कि मैडिकल बोर्ड की रायनुसार संभोग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता परन्तु इस मामले की अभियोक्त्री स्वंय पक्षद्रोही हुई है जो अभियोजन कहानी की कतई ताईद नहीं करती है। ऐसी स्थिति में इन गवाहान की साक्ष्य का कोई महत्व नही रह जाता है।

अन्य गवाहान में पी.ड.1 प्रशांत कौशिक आरोप–पत्र पेश करने की साक्ष्य देता है और पी.ड.2 हिमांशु व पी.ड.6 रामप्रताप अनुसंधान अधिकारी है जिन्होंने अनुसंधान के हालात बयान किये हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण अपराध धारा 363, 366, 376 घ भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

फलतः अभियुक्तगण संदीप उर्फ जसकरण सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, जाति जटसिख , निवासी ढांबा झलार पुलिस थाना सूरतगढ़

तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, गग्गू उर्फ सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री काका सिंह, जाति जटसिख, निवासी 6 एल.पी.एम समेजा कोठी, पुलिस थाना समेजा कोठी जिला श्रीगंगानगर को अपराध धारा 363, 366, 376 घ भारतीय दण्ड संहिता के आरोपें से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

वजह सबूत एक सूट सलवार अभियोक्त्री खुशप्रीत कौर, बाद समाप्ति परिसीमा अवधि अपील एवं रिवीजन नष्ट किये जावे।

प्रकरण में बरामदा मोटरसाईकिल आर जे 13–1 सी एम 9246 के संबंध में उसके स्वामी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अपील की अपेक्षा के अध्यधीन धारा 437–क दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार विहित अवधि के लिए अभियुक्त को 10,000/–रूपये राशि का स्वयं का बंधपत्र व इसी कदर राशि की एक प्रतिभूति पेश करने के आदेश दिये जाने पर उसके द्वारा पेश कर प्रमाणित करवाये जा चुके हैं।

(सोनिका पुरोहित)

निर्णय आज दिनांक 27.6.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)